मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 29, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री -

(क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) की धारा 90 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-2007-छप्पन, दिनांक 12 जुलाई, 2011; तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की -

(क) अधिसूचना क्रमांक 1083/2011/1-9, दिनांक 31 मार्च, 2011; तथा

(ख) शुद्धि पत्र क्रमांक 1083/2011/1-9, दिनांक 2 जुलाई, 2011

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में ऋण माफी योजना में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम चंदावली में सी.आई.एस.एफ. के जवान की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मूल सिंह (दादा भाई), शिवनारायण मीना, सदस्य, गुना जिले के संजय सागर बांध के वेस्ट वीयर एवं नदी के मध्य वन भूमि पर बसे परिवारों को हटाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में उपभोक्ताओं को बिजली के गलत बिल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले में चयनित पटवारियों की सूची में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) शहर के काटजू नगर में मुख्य मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) शहर के जवाहर नगर में ट्यूबवेल खनन किये जाने,

(ग) ग्राम भुतेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने, तथा

(घ) करमदी ग्राम से मथुरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) ग्राम बनवार में आदिवासी छात्रावास निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम रजपुरा में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के -

(क) ग्राम बेड़िया में वन विभाग के कार्यालय के स्थान पर बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बेड़िया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,

(ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम बेड़िया के पास स्थित लछोरा तालाब को इन्दिरा सागर नहर से भरे जाने,

(4) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम पंचायत अमेड़ा, पूर्वा टोला, सहेकी के भवनों का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम पंचायत सिहोरा बवकर, पाला, बगड़मारा, बड़गाँव के भवनों का निर्माण किये जाने,

(5) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बरेठ की कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम भोजपुर की कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम भुमरिया की प्राथमिक कन्या शाला का उन्नयन किये जाने,

(6) श्री राजेन्द्र फूलचंद्र वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम गागरनिया का विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम भौरासा की नगर पंचायत का भवन निर्माण किये जाने, तथा

(ग) सोनकच्छ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बूलेंस प्रदाय किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, दिनांक 18 मार्च, 2011 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 5891) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा (4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (6) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2011